कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email :ceozpnarayanpur@gmail.com

—:: विज्ञापन ::—

क्रमांक / 1402 / जि0पं0 / शि0क0 / 2016–17, नारायणपुर, दिनांक 4 / 06 / 2016

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 20 / 06 / 2016
व्याख्याता (पंचायत) भर्ती (छ0ग0 के मूल निवासी हेतु)

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक / 172 / अमुस / पंग्राविवि / 2016, नया रायपुर दिनांक 17.05.2016 के अनुसार सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध कराये गये रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ,छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक / पंचा–192 / पंग्राविवि / 2012 / 1167, दिनांक 21–06–2012 एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012, तथा छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक–पंचा–142 / पंग्राविवि / 2012 / 1583, रायपुर दिनांक 21.11.2012 के द्वारा छ0ग0 शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012 में संशोधन अनुसार जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं / संस्थाओ में (हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल) में **व्याख्याता (पंचायत)** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर / टाईपराईट अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ, आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर (छ0ग0)** के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 20 / 06 / 2016 सायं 5.30 तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।

रिक्त पदों की गणना (व्याख्यात पंचायत)

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलियर)					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महि.	विक.	भू0से0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0से0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0से0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0से0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0से0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	अंग्रेजी	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	1	-	-	4
2	गणित	6	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	5	1	-	-	6
3	भौतिकी शास्त्र	5	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	4	1	-	-	5
4	रसायन शास्त्र	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-	3
5	जीव विज्ञान	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-	3
6	वाणिज्य	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-	3
योग		24	2	-	-	-	2	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10	6	-	-	16	18	6	-	-	24

1– रिक्त पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है जिसके लिये जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।

2 – शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

विभागीय नियम एवं शर्ते :–

1–वेतनमान रूपये :–

व्याख्याता (पं.) के लिये वेतनमान – 5300–150–8300 / –

2–पात्रता की शर्तें :–

व्याख्याता (पं0) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :– व्याख्याता (पंचायत) के अधोलिखित विषयों के रिक्त पदो के लिए उसके समक्ष दर्शित किसी भी एक विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर एवं बी0एड0 की उपाधि। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी दिनांक को अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता ही मान्य होगा। विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात की कार्यवाही के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अर्हता अर्जित की जाती है तो उसे मान्य नही किया जावेगा। इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त अहस्ताक्षरित कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

क्र 0	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	भौतिकी	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी ।
3	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री ।
4	वाणिज्य	एकाउन्टेंसी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउटिंग/फाइनेन्सियल एकाउन्टेंसी एक मुख्य विषय हो ।
5	गणित	गणित/एप्लाइड गणित ।
6	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र/मानव विज्ञान (लाइफसाइन्स)/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायालॉजी)/जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)/आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी/पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो।

2.1 आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

2.2 कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

2.3 कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिये न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

2.4 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय/अर्द्ध–शासकीय/निगम/मण्डल के सेवकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा)

2.5 आवेदक के द्वारा आवेदन–पत्र जमा करने की तिथि में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

2.6 व्याख्याता (पं.) यथास्थिति जिला पंचायत/जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

2.7 आरक्षित वर्ग के पदो के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के हस्ताक्षर व पद मुद्रा से निर्धारित प्रपत्र में जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता** :– यदि व्याख्याता (पंचायत) के पद पर नियुक्ति के लिए बी0एड0 उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐंसे मामलों में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अन्दर बी0एड0 पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी ।

4–आयु सीमा :–

दिनांक 01 जनवरी, 2016 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो । आयु सीमा में छूट छ0ग0 शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी। अभ्यर्थी की आयु की गणना विज्ञापन में उल्लेखित तिथि के अनुसार ही किया जावेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु में छूट संबंधी किसी प्रकार की पात्रता हासिल करता है तो उसे आयु की गणना हेतु मान्य नही किया जावेगा।

5–भर्ती का तरीका :–

5.1 व्याख्याता (पंचायत) की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी0एड0 में प्राप्त अंको पर 30 अंक।

5.2 व्याख्याता (पंचायत) के पद पर नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर एवं शासन से प्राप्त निर्देशानुसार चयन किया जायेगा ।

5.3 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध मे अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत को होगा।

5.4 चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5.5 चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।

5.6 चयनित उम्मीदवार का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जावेगा। पुलिस द्वारा कराये गये चरित्र सत्यापन में दोषी पाये जाने पर सेवायें बिना पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।

5.7 जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।

5.8 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5.9 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति स्कूल विशेष में दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष के अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी के कार्य का आंकलन करेगा। बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अंत में उनके परिवीक्षा समाप्त कर दी जाएगी ?

6–आवेदन–पत्र जमा करने की विधि :–

6.1 आवेदक अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से इस प्रकार भेजे कि जिला पंचायत कार्यालय को **20–06–2016** तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जावे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

6.2 आवेदक अपने आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा, पिन कोड सहित दो लिफाफा भी संलग्न करेंगे, जिसमें से एक लिफाफा में 40/– रू0 मूल्य का डाक टिकट एंव एक लिफाफा में 40/– रू मूल्य का डाक टिकट चस्पा करेंगे।

6.3 आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, एवं विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

6.4 निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करें एवं आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

6.5 चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनके आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6.6 किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

7–नियुक्ति प्रकिया :–

7.1 प्रावीण्य सूची का प्रकाशन (दावा आपत्ति हेतु) जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं बेवसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

7.2 सत्यापन हेतु अंतिम सूची का प्रकाशन जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं बेवसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

7.3 दस्तावेज सत्यापन की तिथि, व्याख्याता (पंचायत) के लिए जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना एवं बेवसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

7.4 टीपः–

- निर्धारित अवधि में दावा आपत्ति प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का दावा आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीद्वारी स्वमेव समाप्त हो जावेगी । दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ समस्त प्रमाण पत्रों का एक सेट स्व–प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना होगा ।
- **विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत के सूचना पटल एवं Web side address www.cgstate.gov.in & www.zpnarayanpur.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।**

4/6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर, छत्तीसगढ़
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20.06.2016

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत नारायणपुर

आवेदित पद का नाम :– व्याख्याता (पंचायत) संकाय.....

1. आवेदक का पूरा नाम : .....
2. पिता / पति का नाम : .....
3. जाति : .....लिंग :–महिला / पुरूष.....
   (अना. / अपिव / अजा / अजजा)
4. जन्म तिथि : ...../...../.....
5. दिनांक 01.01.2016 को आयु : दिन...../माह...../वर्ष.....
6. क्या आप विकलांग है। यदि हॉ तो : हॉ / नहीं (.....)प्रकार (.....)प्रतिशत(.....)
   विकलांगता का प्रकार (अस्थि / दृष्टि / बाधिर) एवं प्रतिशत लिखें।
7. आवेदक का वर्तमान पता (निवास : .....
   प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न .....
   करें।) .....
   .....
8. आवेदक का स्थायी पता (निवास .....
   प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न .....
   करें।) .....
   .....
9. रोजगार कार्यालय का नाम : .....
   जीवित पंजीयन व दिनांक .....
   अगला नवीनीकरण का दिनांक .....

10. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1	हाईस्कूल				
2	हायर सेकेण्ड्री				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				
5	बी.एड.(नियम एवं शर्ते में निर्दिष्ट हो)				
6	अन्य (विज्ञापन में निर्दिष्टि हों)				

11. क्या आवेदक भू0 सैनिक है? हॉ / नही : .....
यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे।

12. अनुभव :– यदि आप शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम / मण्डल में सेवारत है तो निम्नलिखित प्रारूप को भरे एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

क्र0	संस्था का नाम	पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)

टीप :– यदि वर्तमान में कॉलम नं 12 में दर्शित पदो पर कार्यरत है, तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित)

14. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि.....बच्चों की संख्या.....
सभी बच्चों की जन्मतिथि.....
(विवाह एवं जीवित संतान प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

(कुल सहपत्रों की संख्या.....)

आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर

//घोषणा//

मै एतद् घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। यदि उपर्युक्त विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है, तो नियुक्ति के पश्चात् भी समक्ष अधिकारी द्वारा मेरे सेवा समाप्त किये जाने अथवा किसी भी दण्ड जो वह उचित समझे के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर